



कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश

नर्मदा मार्ग, रामपुर चौराहे के आगे, जबलपुर मध्यप्रदेश



Ph: +91-761-2661021 | Web: www.mpskills.gov.in | Android App: KOUSHALAM | Facebook: Mapskills | Twitter: Map_Skills

-: आदेश :-

/जबलपुर, दिनांक: 01/09/2025

क्रमांक कौविसं./स्थाप-प्र/सामा-249/2025/4056 /मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारियों के पद के लिये आयोजित लिखित परीक्षा के उपरान्त कर्मचारी चयन मण्डल से प्राप्त चयन सूची के आधार पर निम्नलिखित चयनित उम्मीदवारों को उनके अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने की प्रत्याशा में मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (गैर तकनीकी) सेवा में प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनोग्राफी हिन्दी के पद पर वेतनमान 36200-114800 एवं अन्य भत्ते जो राज्य शासन द्वारा मान्य है, पर तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए निम्न शर्तों पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है:-

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3/1/2/2014/2023-जीएडी-आरसी-01 (जीएडी) दिनांक 26 जून 2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा जारी अंतरिम आदेश के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण सीमा 14 प्रतिशत तय की गई है तदनुसार आदेश जारी किया जा रहा है।
2. परीवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
3. परीवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण अधिकारी को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि एवं उच्च पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। यदि वे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनकी सेवायें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(6) के अनुसार नियमित की जाकर उनकी रुकी हुई सभी वेतनवृद्धियां प्राप्त हो जावेगी।
4. शासन द्वारा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर कोई उम्मीदवार किन्हीं भी कारणों से प्रशिक्षण पूर्ण न कर बीच में वापिस होता है तो उस पर शासन द्वारा प्रशिक्षण पर किया गया व्यय वेतन एवं भत्तों सहित वसूली योग्य होगा।
5. परीवीक्षा अवधि में उनकी सेवाएँ कभी भी बिना कारण बताए एवं बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकेगी।
6. कार्यग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवायें छोड़ना चाहते हैं तो एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का पूर्ण वेतन देना होगा। इसी तरह यदि विभाग सेवायें समाप्त करता है तो विभाग एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवायें समाप्त कर सकेगा।
7. कार्यग्रहण के समय जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि किसी उम्मीदवार का दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र या नियुक्ति संबंधी अन्य कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेगी और उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा।

9. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। कार्यग्रहण के समय इस हेतु आपको संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र संबंधित संस्था/कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।
10. उम्मीदवारों की आपसी वरिष्ठता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 12(1)(क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त चयनित मेरिट सूची अनुसार होगी।
11. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के तहत 01.01.2005 के उपरांत नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे तथा म.प्र. सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे।
12. उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अंदर संबंधित संस्था में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। एक माह की अवधि में उपस्थित न होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

क्र	उम्मीदवार का नाम पिता/पति का नाम एवं पता	पद का नाम प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय)	आरक्षित/ अनारक्षित	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4	5
1	प्राची उपाध्याय पुत्र विकास उपाध्याय 1/6 मंगलनाथ मार्ग अंकपात रोड उज्जैन मध्य प्रदेश पिन कोड: 456006	स्टेनो हिन्दी	अनारक्षित महिला	संभागीय आईटीआई उज्जैन
2	रितिक असाठी पुत्र बालकृष्ण असाठी 952, वार्ड नंबर 20 ईशानगर छतरपुर मध्य प्रदेश पिन कोड: 471315	स्टेनो हिन्दी	ईडब्ल्यूएस	छतरपुर
3	अजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह बाजपेयी का बगीचा टीवी टावर के पास बाजपेयी का बगीचा शिवपुरी मध्य प्रदेश पिन कोड: 473551	स्टेनो हिन्दी	एससी	जरुआखेड़ा (सागर)
4	आफरीन बानो पुत्र रहीश खान शिवानी गली एयरटेल टावर के पास जवाहर कॉलोनी शिवपुरी मध्य प्रदेश पिन कोड: 473551	स्टेनो हिन्दी	ईडब्ल्यूएस (अनारक्षित महिला के विरुद्ध)	तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर)
5	विनोद कुमार अहिरवार पुत्र बैजनाथ अहिरवार वार्ड नंबर 15 अंतपुरा पोस्ट बारी लिधौरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश पिन कोड: 472331	स्टेनो हिन्दी	एससी	श्यापुर
6	आरती वैद्य पुत्र ईश्वर दास वैद्य वार्ड नंबर 04 ग्राम नक्षी पोस्ट नक्षी किरनापुर बालाघाट मध्य प्रदेश पिन कोड: 481115	स्टेनो हिन्दी	एससी महिला	दतिया

Handwritten signature

क्र	उम्मीदवार का नाम पिता/पति का नाम एवं पता	पद का नाम प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय)	आरक्षित/ अनारक्षित	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4	5
7	फरेश खरे पुत्र छदामी लाल खरे वार्ड नंबर 08 ग्राम पचपेड़ी पोस्ट नगरवाड़ा बालाघाट मध्य प्रदेश पिन कोड 481551	स्टेनो हिन्दी	ओबीसी (दृष्टि बाधित)	चंदिया (उमरिया)
8	साक्षी राय पुत्र लक्ष्मण राय 64 वार्ड नंबर 09 तुलसीदास वार्ड सुरेखा कॉलोनी दमोह बांध मध्य प्रदेश 470661	स्टेनो हिन्दी	ओबीसी (अनारक्षित महिला के विरुद्ध) (श्रवण बाधित)	तामिया (छिन्दवाड़ा)



संचालक

कौशल विकास मध्यप्रदेश

/जबलपुर, दिनांक 01/09/2025

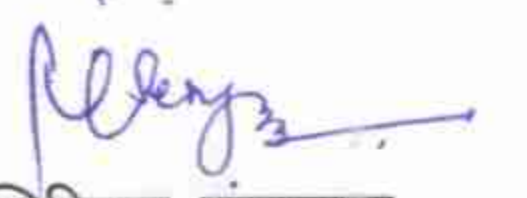
क्रमांक कौविसं/स्थाप-प्र/सामा-249/2025/4057

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
- निज सचिव, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल।
- समस्त संयुक्त संचालक, कौशल विकास, क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, मध्यप्रदेश।
- संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मध्यप्रदेश। चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश की कंडिका 9 में दर्शाये अनुसार पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र एवं अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में पूर्ण रूप से भरवाकर प्राप्त करें और उनके स्थाई/अस्थायी निवास तथा शिक्षा प्राप्त करने के दौरान निवासरत अवधि का पुलिस चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ पत्र भेंजे। पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संचालनालय को मूलतः भेंजे। उम्मीदवार के कार्यग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक, जाति, मूल निवासी एवं अन्य प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। उम्मीदवार के डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण होने की स्थिति में समस्त सेमेस्टर की अंकसूची की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। संबंधित के कार्यग्रहण प्रतिवेदन, व्यक्तिगत विवरण एवं प्रमाण पत्रों की एक-एक प्रमाणित प्रति संचालनालय को भेंजें। अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ पत्र का प्रारूप संचालनालय की वेबसाइट www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध है।
- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।
- संबंधित उम्मीदवार को सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति तथा पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ण रूप से भरकर शपथ पत्र सहित संबंधित संस्था के प्राचार्य/संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें।

आपको आदेश जारी होने के एक माह के अंदर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

8. स्टेनो संचालक/अतिरिक्त संचालक एवं संयुक्त संचालक कौशल विकास संचालनालय म.प्र. जबलपुर।
9. अधीक्षक/स्थापना/गोपनीय/बजट/पदक्रम सूची अनुभाग, कौशल विकास संचालनालय म.प्र. जबलपुर।



अतिरिक्त संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश